

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 134वीं बैठक दिनांक 24.10.2008 में लिये गये निर्णय/सुझाव का विवरण।

ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/ सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
1 134.1	कार्यकारी समिति की 133 वीं बैठक दिनांक 23.09.2008 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से पुष्टि किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया।		
2 134.2	प्राधिकरण सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते के भुगतान के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से कार्यान्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	अति. आयुक्त (प्रशासन)	
3 134.3	श्रीमती रजनी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा-स्वयं का ईलाज प्राधिकरण से गैर अनुमोदित अस्पताल में कराये गये ईलाज पर व्यय की पुनर्भरण की स्वीकृति बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से कार्यान्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	अति. आयुक्त (प्रशासन)	
4 134.4	पार्थ नगर में भूखण्ड संख्या ए-51 के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से पार्थ नगर योजना के आवासीय भूखण्ड संख्या ए-51 का नियमानुसार ब्याज व पेनल्टी बसूल कर नियमित करने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-11	
5 134.5	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम नीडड तहसील आमेर के खसरा नं. 1698/3471, 1707/3479, 1697, 1775, 1698, 1698/3480, 1814/3473 कुल किता 7 कुल रकबा 5.97 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (श्रीमती लक्ष्मी देवी)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम नीडड तहसील आमेर के खसरा नं. 1698/3471, 1707/3479, 1697, 1775, 1698, 1698/3480, 1814/3473 कुल किता 7 कुल रकबा 5.97 हैक्टर भूमि में से प्रस्तावित 100' सड़क में निहित होने वाली 6860 वर्गमीटर भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 52840.00 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) /जोन-12	
6 134.6	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम कानोता तहसील बस्ती के खसरा नं. 814 रकबा 19 बीघा 10 बिस्वा अर्थात् 49319.4 वर्गमीटर भूमि पर खसरा सुपर ईम्पोज करने पर प्राप्त 49212.00 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से संस्थानिक किये जाने के संबंध में। (आनन्द एजुकेशन एण्ड रिसर्च ट्रस्ट)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम कानोता तहसील बस्ती के खसरा नं. 814 रकबा 19 बीघा 10 बिस्वा अर्थात् 49319.4 वर्गमीटर भूमि पर खसरा सुपर ईम्पोज करने पर प्राप्त 49212.00 वर्गमीटर भूमि में से 60' रोड में आने वाली 528 वर्गमीटर भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 48684.00 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से संस्थानिक किये जाने का निर्णय लिया गया। उपान्तरित भूमि के लिए सड़क व अन्य सुविधा जविप्रा द्वारा उपलब्ध नहीं करायी जायेगी। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) /जोन-12	
7 134.7	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम दहमीखुर्द तहसील सांगानेर के खसरा नं. 688, 689, 690, 722 कुल किता 4 रकबा 6.37 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से व्यावसायिक (होटल) व व्यावसायिक (काम्पलेक्स) किये जाने के संबंध में। (दीपाली रुंगटा)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम दहमीखुर्द तहसील सांगानेर के खसरा नं. 688, 689, 690, 722 कुल किता 4 रकबा 6.37 हैक्टर भूमि में से होटल प्रयोजनार्थ प्रस्तावित 42223 वर्गमीटर भूमि में से सड़क सीमा में निहित होने वाली 2183.56 वर्गमीटर भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 40039.44 वर्गमीटर भूमि का ग्रामीण से होटल (मात्र होटल, अन्य व्यावसायिक प्रयोजन नहीं) प्रयोजनार्थ एवं व्यावसायिक हेतु प्रस्तावित 21477 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से व्यावसायिक किये जाने का निर्णय लिया गया। उपान्तरित भूमि के लिए सड़क व अन्य सुविधा जविप्रा द्वारा उपलब्ध नहीं करायी जायेगी। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) /जोन-11	
8 134.8	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम पवालिया तहसील सांगानेर के खसरा नं. 1570, 1574, 1575, 1587, 1588, 1590, 1631, 1632, 1633, 1638 कुल किता 10 कुल रकबा 4.22 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने के संबंध में। (रास्थान लैण्ड डवलपर्स प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम पवालिया तहसील सांगानेर के खसरा नं. 1570, 1574, 1575, 1587, 1588, 1590, 1631, 1632, 1633, 1638 कुल किता 10 कुल रकबा 4.22 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) /जोन-11	
9 134.9	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम अजयराजपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 294 रकबा 0.15 हैक्टर (1500 वर्गमीटर) भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से वाणिज्यिक (होटल) किये जाने के संबंध में। (रिसर्जेन्ट राजस्थान श्री अशोक अग्रवाल)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम अजयराजपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 294 रकबा 0.15 हैक्टर (1500 वर्गमीटर) भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से वाणिज्यिक मात्र होटल हेतु किये जाने का निर्णय लिया गया, अन्य वाणिज्यिक उपयोग अनुज्ञेय नहीं है, किये जाने का निर्णय लिया गया। उपान्तरित भूमि के लिए सड़क व अन्य सुविधा जविप्रा द्वारा उपलब्ध नहीं करायी जायेगी। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) /जोन-11	

ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/ सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
10	134.10	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम सुशीलपुरा तहसील जयपुर के खसरा नं. 192 रकबा 4548.8 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) से व्यावसायिक (रिटेल कॉमर्शियल एण्ड जनरल बिजनेस) किये जाने के संबंध में। (मैसर्स लक्ष्मीकृपा बिल्डकाम प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम सुशीलपुरा तहसील जयपुर के खसरा नं. 192 रकबा 4548.8 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) से व्यावसायिक (रिटेल कॉमर्शियल एण्ड जनरल बिजनेस) किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) / जोन-7
11	134.11	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम अजबगढ़ उर्फ हाडीकाबास तहसील जमवारामगढ़ के खसरा नम्बर 1 से 12, 12/87, 13 से 16, 17/1मिन, 17/2मिन, 17/3 मिन, 17/4मिन, 17/5मिन, 17/1, 18 से 26, 26/90, 27 से 37, 38मिन, 38/1, 39, 40 व 17/88 कुल किता 49 कुल रकबा 343 बीघा 11 बिस्वा एवं ग्राम नटाटा तहसील जमवारामगढ़ के खसरा नम्बर 162, 163, 164/1, 164/2, 165 से 172, 174 से 178, 179/3, 179/4, 179/5, 179/6, 179/7, 179/861, 179/863, 181, 182, व 399 कुल किता 27 कुल रकबा 208 बीघा 8 बिस्वा इस प्रकार दोनों के कुल किता 76 कुल रकबा 551 बीघा 19 बिस्वा भूमि का भू-उपयोग इकोलोजिकल एवं औद्योगिक से आवासीय, वाणिज्यिक एवं अन्य नगरीय उपयोग प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (जविप्रा)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण स्थगित किया गया।	निदेशक (आयोजना) / जोन-12
12	134.12	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम जैतपुरा तहसील चौमू के खसरा नं. 870, 871, व 870/2376 कुल किता 3 कुल रकबा 0.50 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (मदन मोहन गोयल)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम जैतपुरा तहसील चौमू के खसरा नं. 870, 871, व 870/2376 कुल किता 3 कुल रकबा 0.50 हैक्टर भूमि में से सड़क सीमा में निहित होने वाली 380 वर्गमीटर भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 4620 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। उपान्तरित भूमि के लिए सड़क व अन्य सुविधा जविप्रा द्वारा उपलब्ध नहीं करायी जायेगी। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) / जोन-12
13	134.13	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्ष 2007-08 के लिये बोनस/एक्सग्रेसिया के संबंध में जारी आज्ञा दिनांक 13.10.2008 की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जविप्रा के अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्ष 2007-08 के लिये बोनस/एक्सग्रेसिया के संबंध में जारी आज्ञा दिनांक 13.10.2008 की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	अति. आयुक्त (प्रशासन)
14	134.14	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम रामपुराबास देवलिया/सांगानेर के खसरा नं. 261, 262, 263/1, 264/1, 265, 263/324 कुल किता 7 कुल रकबा 4.3030 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से व्यावसायिक (केवल होटल उपयोग हेतु अन्य व्यावसायिक नहीं) किये जाने के संबंध में। (मै. मैरु मार्मा प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम रामपुराबास देवलिया/सांगानेर के खसरा नं. 261, 262, 263/1, 264/1, 265, 263/324 कुल किता 7 कुल रकबा 4.3030 हैक्टर भूमि में से मुख्य सड़क अजमेर रोड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 की 300'-0" चौड़ा किया जाना प्रस्तावित है प्रभावित सड़क विस्तार से प्रभावित भू-पट्टी का क्षेत्रफल 3162.0 वर्गमीटर जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने तथा प्लॉटेशन कोरीडोर में आरक्षित 5040 भूमि कम करने के पश्चात् शेष 32828.0 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से व्यावसायिक मात्र होटल हेतु जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने का निर्णय लिया गया। उपान्तरित भूमि के लिए सड़क व अन्य सुविधा जविप्रा द्वारा उपलब्ध नहीं करायी जायेगी। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) / जोन-11
15	134.15	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम रामनगरिया तहसील सांगानेर के खसरा नं. 162, 163/2 किता 2 रकबा 1.10 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय/मिश्रित से संस्थानिक किये जाने के संबंध में। (मैसर्स स्कीट इन्फोसिस)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम रामनगरिया तहसील सांगानेर के खसरा नं. 162, 163/2 किता 2 रकबा 1.10 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय/मिश्रित से संस्थानिक किये जाने का निर्णय लिया गया। उपान्तरित भूमि के लिए सड़क व अन्य सुविधा जविप्रा द्वारा उपलब्ध नहीं करायी जायेगी। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) / जोन-9

			134.16 में लिखे गये विवरण, सु.स.व.	संबन्धित अधिकारी	पालिका रिपोर्ट
16	134.16	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम खसरा नं. 225 व 226/2 रकबा 0.38 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण इकोलोजिकल से वाणिज्यिक किये जाने के संबंध में। (किशन गुप्ता)	लुनियावास तहसील आमर के खसरा नं. 225 व 226/2 रकबा 0.38 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण इकोलोजिकल से वाणिज्यिक किये जाने के संबंध में। (किशन गुप्ता)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम लुनियावास तहसील आमर के खसरा नं. 225 व 226/2 रकबा 0.38 हैक्टर भूमि में से सड़क सीमा में निहित होने वाली 860 वर्गमीटर जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने एवं प्लांटेशन कोरीडोर की 645 वर्गमीटर भूमि छोड़ते हुये शेष 2295 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण इकोलोजिकल से वाणिज्यिक माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित याचिका के निर्णय के अधधीन किये जाने का निर्णय लिया गया। उपान्तरित भूमि के लिए सड़क व अन्य सुविधा जविप्रा द्वारा उपलब्ध नहीं करायी जायेगी। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) /जोन-12
17	134.17	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम चांदावास तहसील फागी के खसरा नं. 384, 386, 370/1, 380 से 383, 385, 387, 368 किता 10 रकबा 16 बीघा 8 बिसवा भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्राभीण से आवासीय किये जाने के संबंध में। (मै. भू-धन रियल एस्टेट प्रा.लि.)	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम चांदावास तहसील फागी के खसरा नं. 384, 386, 370/1, 380 से 383, 385, 387, 368 किता 10 रकबा 16 बीघा 8 बिसवा भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्राभीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम चांदावास तहसील फागी के खसरा नं. 384, 386, 370/1, 380 से 383, 385, 387, 368 किता 10 रकबा 16 बीघा 8 बिसवा भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्राभीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) /जोन-11
18	134.18	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम दांतली तहसील सांगानेर के खसरा नं. 1001मिन, 1002, 1003, 1071, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079मिन, 1080, 1081मिन की कुल 100313.60 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय/मिश्रित से संस्थानिक किये जाने के संबंध में। (मै. टैक्नोकेट्स एण्ड मैनेजर्स प्रा.लि.)	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम दांतली तहसील सांगानेर के खसरा नं. 1001मिन, 1002, 1003, 1071, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079मिन, 1080, 1081मिन की कुल 100313.60 वर्गमीटर भूमि में से सड़क सीमा में आने वाली 5158.04 वर्गमीटर भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 95155.56 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय/मिश्रित से संस्थानिक किये जाने का निर्णय लिया गया। उपान्तरित भूमि के लिए सड़क व अन्य सुविधा जविप्रा द्वारा उपलब्ध नहीं करायी जायेगी। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम दांतली तहसील सांगानेर के खसरा नं. 1001मिन, 1002, 1003, 1071, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079मिन, 1080, 1081मिन की कुल 100313.60 वर्गमीटर भूमि में से सड़क सीमा में आने वाली 5158.04 वर्गमीटर भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 95155.56 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय/मिश्रित से संस्थानिक किये जाने का निर्णय लिया गया। उपान्तरित भूमि के लिए सड़क व अन्य सुविधा जविप्रा द्वारा उपलब्ध नहीं करायी जायेगी। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) /जोन-9
19	134.19	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम टीकमपुरा तहसील जमवारामगढ के खसरा नं. 506/2 रकबा 10 बीघा 11 बिसवा अर्थात् 31913.75 वर्गगज भूमि पर खसरा सुपर ईम्पोज करने पर प्राप्त 29650 वर्गगज भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण इकोलोजिकल से वाणिज्यिक होटल प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (श्रीमती भगवती देवी, श्री रजत विश्णोई, मीर विश्णोई)	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम टीकमपुरा तहसील जमवारामगढ के खसरा नं. 506/2 रकबा 10 बीघा 11 बिसवा अर्थात् 31913.75 वर्गगज भूमि पर खसरा सुपर ईम्पोज करने पर प्राप्त 29650 वर्गगज भूमि में से राष्ट्रीय राजमार्ग से निहित होने वाली 7118.50 वर्गगज भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने के पश्चात् तथा प्लांटेशन कोरीडोर से प्रभावित 7686.50 वर्गगज छोड़ने के पश्चात् शेष 14845.00 वर्गगज भूमि का इकोलोजिकल से वाणिज्यिक मात्र होटल हेतु जिसमें अन्य वाणिज्यिक उपयोग अनुज्ञेय नहीं होंगे को माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित याचिका के अधधीन किये जाने का निर्णय लिया गया। उपान्तरित भूमि के लिए सड़क व अन्य सुविधा जविप्रा द्वारा उपलब्ध नहीं करायी जायेगी। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम टीकमपुरा तहसील जमवारामगढ के खसरा नं. 506/2 रकबा 10 बीघा 11 बिसवा अर्थात् 31913.75 वर्गगज भूमि पर खसरा सुपर ईम्पोज करने पर प्राप्त 29650 वर्गगज भूमि में से राष्ट्रीय राजमार्ग से निहित होने वाली 7118.50 वर्गगज भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने के पश्चात् तथा प्लांटेशन कोरीडोर से प्रभावित 7686.50 वर्गगज छोड़ने के पश्चात् शेष 14845.00 वर्गगज भूमि का इकोलोजिकल से वाणिज्यिक मात्र होटल हेतु जिसमें अन्य वाणिज्यिक उपयोग अनुज्ञेय नहीं होंगे को माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित याचिका के अधधीन किये जाने का निर्णय लिया गया। उपान्तरित भूमि के लिए सड़क व अन्य सुविधा जविप्रा द्वारा उपलब्ध नहीं करायी जायेगी। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) /जोन-12
20	134.20	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम जयपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 266, 267, 268 व 272 रकबा 1.49 हैक्टर (14900 वर्गमीटर) भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय/मिश्रित से क्षेत्र से संस्थानिक किये जाने के संबंध में। (शामनाथ करोल)	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम जयपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 266, 267, 268 व 272 रकबा 1.49 हैक्टर (14900 वर्गमीटर) भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय/मिश्रित से क्षेत्र से संस्थानिक किये जाने का निर्णय लिया गया। उपान्तरित भूमि के लिए सड़क व अन्य सुविधा जविप्रा द्वारा उपलब्ध नहीं करायी जायेगी। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम जयपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 266, 267, 268 व 272 रकबा 1.49 हैक्टर (14900 वर्गमीटर) भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय/मिश्रित से क्षेत्र से संस्थानिक किये जाने का निर्णय लिया गया। उपान्तरित भूमि के लिए सड़क व अन्य सुविधा जविप्रा द्वारा उपलब्ध नहीं करायी जायेगी। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) /जोन-9
21	134.21	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम सांगानेर तहसील सांगानेर के खसरा नं. 152, 150/817, 154/818, 154/819, 155/820, 155/821 कुल किता 6 रकबा 1.47 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण रेल्वे यार्ड से आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (मै. पेपर कोन एण्ड विजय इण्डिया प्रा.लि.)	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम सांगानेर तहसील सांगानेर के खसरा नं. 152, 150/817, 154/818, 154/819, 155/820, 155/821 कुल किता 6 रकबा 1.47 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण रेल्वे यार्ड से आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। उपान्तरित भूमि के लिए सड़क व अन्य सुविधा जविप्रा द्वारा उपलब्ध नहीं करायी जायेगी। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम सांगानेर तहसील सांगानेर के खसरा नं. 152, 150/817, 154/818, 154/819, 155/820, 155/821 कुल किता 6 रकबा 1.47 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण रेल्वे यार्ड से आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। उपान्तरित भूमि के लिए सड़क व अन्य सुविधा जविप्रा द्वारा उपलब्ध नहीं करायी जायेगी। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) /जोन-8

		सम्बन्धित		पालना	
प.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/ सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट	
22	134.22	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम नीदंड तहसील आमेर के खसरा नं. 691, 692/2, 693/2, 694/2 व 695/2 कुल किता 5 रकबा 3.00 हैक्टयर अर्थात् 30000 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से वाणिज्यिक (रिटेल कार्मर्शियल एवं जनरल बिजनेस) किये जाने के संबंध में। (श्री रामचन्द्र अग्रवाल)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम नीदंड तहसील आमेर के खसरा नं. 691, 692/2, 693/2, 694/2 व 695/2 कुल किता 5 रकबा 3.00 हैक्टयर अर्थात् 30000 वर्गमीटर भूमि में से सड़क सीमा में आने वाली 2090 वर्गमीटर भूमि जविप्रा को निःशुल्क करने तथा प्लांटेशन कोरीडोर से प्रभावित 3000 वर्गमीटर भूमि छोड़ने के पश्चात् शेष 24910 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से वाणिज्यिक (रिटेल कार्मर्शियल एवं जनरल बिजनेस) किये जाने का निर्णय लिया गया। उपान्तरित भूमि के लिए सड़क व अन्य सुविधा जविप्रा द्वारा उपलब्ध नहीं करायी जायेगी। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) /जोन-12	
23	134.23	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम नीदंड तहसील आमेर के खसरा नं. 438, 445, 455, 622, 624, 634, 637, 639, 640, 645, 661, 663, से 667, 669/3465, 670, 728, 729, 431/3466, 439, 447, 456, 721, 727/3467, 431, 440, 446, 458, 727, 377, 378, 625, 636/3464, 659, 660, 669 कुल किता 38 रकबा 15.09 हैक्टयर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने के संबंध में। (मैसर्स लोटस बिजनेस डेवेलपर्स प्रा.लि. व अन्य)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम नीदंड तहसील आमेर के खसरा नं. 438, 445, 455, 622, 624, 634, 637, 639, 640, 645, 661, 663, से 667, 669/3465, 670, 728, 729, 431/3466, 439, 447, 456, 721, 727/3467, 431, 440, 446, 458, 727, 377, 378, 625, 636/3464, 659, 660, 669 कुल किता 38 रकबा 15.09 हैक्टयर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया। उपान्तरित भूमि के लिए सड़क व अन्य सुविधा जविप्रा द्वारा उपलब्ध नहीं करायी जायेगी। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) /जोन-12	
24	134.24	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम दहमीखुर्द तहसील सांगानेर के खसरा नं. 2010, 2011, 2076, 2077/2623, किता 4 रकबा 4.68 हैक्टयर ग्राम दहमीखुर्द तहसील सांगानेर के खसरा नं. 694, 699, 700, 709, 642 से 657, 663 से 667, 659, 660, 661, 695, 696 किता 30 रकबा 27.61 हैक्टयर दोनों ग्रामों की कुल किता 34 कुल रकबा 32.27 हैक्टयर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने के संबंध में। (श्री के.जी. कोठारी (एचयूएफ))	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम दहमीखुर्द तहसील सांगानेर के खसरा नं. 2010, 2011, 2076, 2077/2623, किता 4 रकबा 4.68 हैक्टयर ग्राम दहमीखुर्द तहसील सांगानेर के खसरा नं. 694, 699, 700, 709, 642 से 657, 663 से 667, 659, 660, 661, 695, 696 किता 30 रकबा 27.61 हैक्टयर दोनों ग्रामों की कुल किता 34 कुल रकबा 32.27 हैक्टयर भूमि में से खसरा नं. 643 में से 0.0660 है. खसरा नं. 646 में से 0.1250 है. ख.नं. 647 में से 0.3700 है. ख.नं. 649 में से 0.1030 है. ख.नं. 667 में से 0.5700 है. ख.नं. 663 में से 0.1630 है. भूमि रीको की अवाप्ति में है। आवेदित भूमि में से भूखण्ड संख्या 2 (ग्राम दहमीखुर्द के खसरा नं. 709 की) भूमि छोड़ने के उपरान्त शेष दोनों ग्रामों की कुल किता 33 रकबा 29.753 हैक्टयर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) /जोन-11	
25	134.25	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम केशोपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 742, 743, किता 2 रकबा 1.80 हैक्टयर भूमि में से 1242 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ट्रक टर्मिनल से व्यावसायिक किये जाने के संबंध में। (पिकसिटी टयूरिस्म विलेज काम्पलेक्स प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम केशोपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 742, 743, किता 2 रकबा 1.80 हैक्टयर भूमि में से 1242 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ट्रक टर्मिनल से व्यावसायिक किये जाने का निर्णय लिया गया। उपान्तरित भूमि के लिए सड़क व अन्य सुविधा जविप्रा द्वारा उपलब्ध नहीं करायी जायेगी। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) /जोन-8	
26	134.26	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम नासनोता तहसील मौजमाबाद के खसरा नं. 4, 11, 12, 60, 62, 63, 64, 131, 157, 182 किता 10 कुल रकबा 14.88 हैक्टयर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (पंचशील कालोनाइजर्स प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम नासनोता तहसील मौजमाबाद के खसरा नं. 4, 11, 12, 60, 62, 63, 64, 131, 157, 182 किता 10 कुल रकबा 14.88 हैक्टयर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। कालोनाइजर्स की इस क्षेत्र में प्रस्तावित अन्य योजनाओं का रोड नेटवर्क के मिलान एवं पहुंच मार्ग का ले-आउट प्लान अनुमोदन के समय सुनिश्चित किया जावे। प्रकरण 1500 व. ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) /जोन-11	
27	134.27	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम रामपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 99, 100/1, 102, 103, 104 कुल किता 5 रकबा 1.61 हैक्टयर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से व्यावसायिक (होटल प्रयोजनार्थ अन्य उपयोग हेतु नहीं) किये जाने के संबंध में। (श्रीमती आशा काला व अन्य)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम रामपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 99, 100/1, 102, 103, 104 कुल किता 5 रकबा 1.61 हैक्टयर भूमि में से सड़क सीमा से प्रभावित भू-पट्टी का क्षेत्रफल 1380.52 वर्गमीटर जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने तथा प्लांटेशन कोरीडोर में आरक्षित 3140.90 वर्गमीटर भूमि कम करने के पश्चात् शेष 11578.50 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से व्यावसायिक मात्र होटल हेतु जिसमें अन्य वाणिज्यिक उपयोग अनुज्ञेय नहीं होंगे का निर्णय लिया गया। उपान्तरित भूमि के लिए सड़क व अन्य सुविधा जविप्रा द्वारा उपलब्ध नहीं करायी जायेगी। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) /जोन-11	

S. No.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/ सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
28	134.28 जविप्रा क्षेत्र में स्थित पुर्नगठित भूखण्ड संख्या बी-1 से बी-6 स्कीम 10बी तथा एस-1 एस-3 व एस-4 योजना मोहन नगर क्षेत्रफल 6580.03 वर्गगज भूमि का भू-उपयोग उपांतरण आवासीय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (मुन्ना लाल गोयल)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से पुर्नगठित भूखण्ड संख्या बी-1 से बी-6 स्कीम 10बी तथा एस-1 एस-3 व एस-4 योजना मोहन नगर क्षेत्रफल 6580.03 वर्गगज भूमि का भू-उपयोग उपांतरण आवासीय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) / जोन-5	
29	134.29 जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम नासोता तहसील मौजमाबाद के खसरा नं. 13/562/3, 13/578, 13/1/4, 13/575, 13/576, 13/577, 13/581, 13/1/2, 13/582, 13/564 कुल किता 10 कुल रकबा 78 बीघा 03 बिस्वा भूमि का भू-उपयोग उपांतरण ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (पंचशील कालोनाइजर्स प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम नासोता तहसील मौजमाबाद के खसरा नं. 13/562/3, 13/578, 13/1/4, 13/575, 13/576, 13/577, 13/581, 13/1/2, 13/582, 13/564 कुल किता 10 कुल रकबा 78 बीघा 03 बिस्वा भूमि का भू-उपयोग उपांतरण ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। कालोनाइजर्स की इस क्षेत्र में प्रस्तावित अन्य योजनाओं का रोड नेटवर्क के मिलान एवं पहुँच मार्ग का ले-आउट प्लान अनुमोदन के समय सुनिश्चित किया जावे। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) / जोन-11	
अन्य मुद्दे आयुक्त महोदय की अनुमति से (SUPPLEMENTARY AGENDA)				
30	134.30 जविप्रा की मुख्य सीवररेज लाइन बिछाने हेतु ग्राम गोनेर के अन्तर्गत जविप्रा अधिनियम की धारा 44 के तहत समझौते द्वारा भूमि प्राप्त करने एवं बदले में 25 प्रतिशत विकसित भूमि मुआवजा स्वरूप आवंटन करने बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण में राज्य सरकार के नियमों के अनुसार 20 प्रतिशत आवासीय एवं 5 प्रतिशत व्यावसायिक मुआवजा के लिए भूमि कहां दी जानी है के प्रस्ताव के साथ प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	उपायुक्त जोन-9	
31	134.31 जविप्रा की ग्रुप हाउसिंग योजना हेतु ग्राम टीलावाला तहसील सांगानेर के अन्तर्गत आ रही निजी खातेदारी की भूमि के अवाप्ति प्रस्ताव के कम में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण में कार्यान्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	उपायुक्त जोन-9	
32	134.32 प्राधिकरण के सभी मनोनीत सदस्यों, अधिकारियों को समाचार पत्र/पत्रिकाओं की पुनर्भरण राशि बढ़ाने के कम में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से विशेषाधिकारी (जनसम्पर्क) के प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।	विशेषाधिकारी (जनसम्पर्क)	
33	134.33 प्रकरण को कार्यकारी समिति की 132वीं बैठक में रखा जाकर उपरोक्त वर्णित भूमि का भू-उपयोग उपांतरण ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया था। टंकण त्रुटिवश खसरा नं. 2188 के स्थान पर 2168 हो गया है। अतः इसे खसरा नं. 2168 के स्थान पर 2188 पढ़ा जावे।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से कार्यकारी समिति की 132वीं बैठक में रखा जाकर उपरोक्त वर्णित भूमि का भू-उपयोग उपांतरण ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया था। टंकण त्रुटिवश खसरा नं. 2188 के स्थान पर 2168 हो गया है। अतः इसे खसरा नं. 2168 के स्थान पर 2188 पढ़े जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक (आयोजना) / जोन-11	
34	134.34 जविप्रा क्षेत्र में स्थित जविप्रा द्वारा अनुमोदित नेशनल हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसायटी की योजना सुन्दर नगर के भूखण्ड संख्या 1 एवं 1ए क्षेत्रफल 500.86 वर्गगज का भू-उपयोग उपांतरण आवासीय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (श्रीमत् सालासर विल्डेंकान प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जविप्रा द्वारा अनुमोदित नेशनल हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसायटी की योजना सुन्दर नगर के भूखण्ड संख्या 1 एवं 1ए क्षेत्रफल 500.86 वर्गगज का भू-उपयोग उपांतरण आवासीय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त भूखण्ड पूर्व में अधिसूचित 19 सड़कों में से एक सड़क पर स्थित है। पार्किंग की व्यवस्था नक्शा अनुमोदन के समय सुनिश्चित की जावे एवं अगर भूखण्ड पर अनाधिकृत निर्माण हो तो उसे ध्वस्त करने के पश्चात् ही धारा 25(1) की कार्यवाही की जावे।	निदेशक (आयोजना) / जोन-1	
35	134.35 जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम सिरसी तहसील जयपुर के खसरा नं. 1994, 2000, 2025 कुल रकबा 22 बीघा 13 बिस्वा अर्थात् 57287.34 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपांतरण ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (सोहन लाल मीणा)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम सिरसी तहसील जयपुर के खसरा नं. 1994, 2000, 2025 कुल रकबा 22 बीघा 13 बिस्वा अर्थात् 57287.34 वर्गमीटर भूमि में से सड़क सीमा में निहित होने वाली 6320 वर्गमीटर भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 50967.34 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपांतरण ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रश्नगत भूमि में से 11 के.पी. की एच.टी.लाइन को शिफ्ट कराने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) / जोन-7	

ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/ सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट	
36	134.36	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम चकबाड तहसील जयपुर के खसरा नं. 33, 15, 22, 50, 54, 47, 30, 44, 7, 11, 51, 55, 6, 5, 29, 16, 18, 4, 52, 56, 25, 41, 42, 32, 14, 19, 49, 53, 12, 17, 37, 46, 10, 24, 1, 2, 3, 43/60, 3, 21, 48, 57, 9, 26, 4/58, 45, 27, 28, 39 40 कुल किता 51 रकबा 251 बीघा 12 बिस्वा भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने के संबंध में। (ईशरा व अन्य)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम चकबाड तहसील जयपुर के खसरा नं. 33, 15, 22, 50, 54, 47, 30, 44, 7, 11, 51, 55, 6, 5, 29, 16, 18, 4, 52, 56, 25, 41, 42, 32, 23, 14, 19, 49, 53, 12, 17, 37, 46, 10, 24, 1, 2, 3, 43/60, 13, 21, 48, 57, 9, 26, 4/58, 45, 27, 28, 39 40 कुल किता 51 रकबा 251 बीघा 12 बिस्वा भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय निम्न शर्तों के साथ किये जाने का निर्णय लिया गया। 1. रहन रखे गये खसरा की एन.ओ.सी. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत करने पर तथा स्वामित्व की जाँच के पश्चात् ही आगे की कार्यवाही की जावे। 2. एप्रोच रोड हेतु 100' चौड़े पहुच मार्ग व जविप्रा को जब भी रोड नेटवर्क, सैक्टर प्लान आदि के लिये भूमि की आवश्यकता पड़ेगी तो आवेदक को स्वयं की भूमि में से जविप्रा को निःशुल्क भूमि समर्पित करनी होगी। 3. उक्त क्षेत्र का रोड नेटवर्क आयोजना शाखा द्वारा तैयार किये जाने की कार्यवाही की जावे, नक्शा अनुमोदन के समय इस बिन्दु का विशेष ध्यान रखा जावेगा। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) /जोन-12	
37	134.37	जविप्रा द्वारा अनुमोदित योजना ई-16, क्षेत्रफल 383.51 वर्ग गज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से वाणिज्यिक (रिटेल कॉमर्शियल एवं जनरल बिजनेस) किये जाने के संबंध में। (कान्ता शर्मा)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से अनुमोदित योजना वैशाली नगर के भूखण्ड संख्या ई-16, क्षेत्रफल 383.51 वर्ग गज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से वाणिज्यिक (रिटेल कॉमर्शियल एवं जनरल बिजनेस) किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त भूखण्ड पूर्व में अधिसूचित 19 सडकों में से एक सडक पर स्थित है। पार्किंग की व्यवस्था नक्शा अनुमोदन के समय सुनिश्चित की जावे एवं अगर भूखण्ड पर अनाधिकृत निर्माण हो तो उसे ध्वस्त करने के पश्चात् ही धारा 25(1) की कार्यवाही की जावे।	निदेशक (आयोजना) /जोन-7	
38	134.38	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम ग्वार जाटान तहसील सांगानेर के खसरा नं. 6, 7, 8, 26, 28 कुल किता 5 कुल रकबा 2.85 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से संस्थानिक प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (सर्वोदय पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम ग्वार जाटान तहसील सांगानेर के खसरा नं. 6, 7, 8, 26, 28 कुल किता 5 कुल रकबा 2.85 हैक्टर भूमि में से सडक सीमा में निहित होने वाली 186 वर्गमीटर भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर एवं ख.नं. 6 रकबा 0.40 है. भूमि में से 0.036 है. भूमि रिंग रोड अवाप्ति में होने के कारण शेष भूमि 27954 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से संस्थानिक प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। उपान्तरित भूमि के लिए सडक व अन्य सुविधा जविप्रा द्वारा उपलब्ध नहीं करायी जायेगी। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) /जोन-11	


 सदस्य सचिव,
 जविप्रा, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 134वीं बैठक दिनांक 24.10.08 को दोपहर 03.00 बजे जयपुर विकास प्राधिकरण के सभा कक्ष 'मंथन' में श्री अशोक जैन, जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उपस्थिति निम्न प्रकार रही :-

क. सं.	नाम सदस्य/ अधिकारी	पद	विभाग	पदनाम
1	श्री अशोक जैन	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	अध्यक्ष
2	श्री श्रीराम मीणा	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य सचिव
3	श्री एस.सी. महागांवकर	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
4	श्रीमती कौमुदी गुप्ता	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
5	श्री भगवान सिंह	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
6	श्री एस.सी. सोनी	निदेशक (अभियांत्रिकी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
7	श्री ए.सी. बाकोलिया	टी.टू. ए.सी.ई.- II	पीडब्ल्यूडी	सदस्य के प्रतिनिधि
8	श्री डी.पी. बसल	टी.ए.टू.एस.ई	पी.एच.ई.डी.	सदस्य के प्रतिनिधि
9	श्री एस.के. गुप्ता	अधिक्षापी अभियन्ता	जेवीवीएनएल	सदस्य के प्रतिनिधि
अन्य अधिकारी उपस्थित				
10	श्री नरेश कुमार शर्मा	अति.आयुक्त (पूर्व)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
11	श्री विगल कुमार जैन	अति.आयुक्त (एल.पी.सी.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
12	श्रीमती दुर्गा जोशी	अति.आयुक्त (भूमि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
13	सुश्री रेखा गुप्ता	अति.आयुक्त (प्रशासन)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
14	श्री राजेन्द्र सिंह राठीड	उपायुक्त जोन-1	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
15	श्री राजेन्द्र विजय	उपायुक्त जोन-5	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
16	श्री राजपाल सिंह यादव	उपायुक्त जोन-8	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
17	डा. बी.डी. कुमावत	उपायुक्त जोन-9	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
18	श्री सुखवीर सेनी	उपायुक्त जोन-12	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
19	श्री रामचरण शर्मा	उपायुक्त (स्टोर)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
20	श्री राजेन्द्र गुप्ता	तहसीलदार जोन-11	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
21	श्री हरिप्रसाद शर्मा	सहायक नगर नियोजक जोन-11	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	

सचिव,
जयपुरा, जयपुर

प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है:-

27/10/08

क.स.	पद	विभाग का नाम
1	निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2	नहायरी	जयपुर नगर निगम।
3	जिला प्रमुख	जिला परिषद, जयपुर।
4	अध्यक्ष	राजस्थान आवासन मण्डल।
5	शासन सचिव	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	रोको, जयपुर।
8	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।
9	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
10	जिला कलेक्टर	जिला कलेक्ट्रेट, जयपुर।
11	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	नगर निगम, जयपुर।
12	पुलिस अधीक्षक	पुलिस विभाग, जयपुर।
13	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14	मुख्य नगर नियोजक	नगर नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
15	मुख्य अभियन्ता	सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
16	मुख्य अभियन्ता	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
17	मुख्य अभियन्ता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
18	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
19	निदेशक (अभियांत्रिकी/प्रोजेक्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
20	निदेशक (परियोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
21	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
22	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
23	अतिरिक्त आयुक्त पूर्व/पश्चिम/प्रशासन/एल.पी.सी./भूमि	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
24	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट/बीपीसी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
25	विशेषाधिकारी (आर.एण्ड.एम)/अति.निदे. (राजस्व एवं स.नि.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
26	उपायुक्त (समन्वय)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
27	उपायुक्त जोन.....	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
28	विशेषाधिकारी (जन-सम्पर्क)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

सम्बन्धित अधिकारी आगामी बैठक से पूर्व पालना रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित करें।

सचिव,
जयपुर, जयपुर